ईओआई संदर्भ सं.:-रा.आ.बैंक/लेखा/ईओआई/01/2020-21

अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)-

कर संबंधित मामलों में
सलाहकार सेवाओं में सहायता प्रदान करने और परामर्श देने के लिए फर्म की नियुक्ति
(प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों)

लेखा विभाग:
मुख्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक
कोर 5-ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110 003
फोन: 011-39187106, 011-39187128
ई-मेलः ajay.kumar@nhb.org.in, mohit.kaul@nhb.org.in

1. महत्वपूर्ण ईओआई विवरण		
I.	ईओआई दस्तावेजों को प्रदान / अपलोड करने की तिथि।	23.07.2020
II.	ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि और समय।	14.08.2020 6:00 p.m.
III.	ईओआई बोली खोलने की तिथि एवं समय	17.08.2020 04:00 p.m.
IV.	बोली के खोलने का स्थान	राष्ट्रीय आवास बैंक, लेखा विभाग मुख्यालय, कोर 5-ए, तीसरी-पांचवीं मंजिल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003

नोटः किसी भी परिवर्तन की सूचना केवल नामित संपर्क कर्मियों से ई-मेल के माध्यम से या रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित करने पर दी जाएगी

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 ("अधिनियम") के तहत की गई है। बैंक या रा.आ.बैंक का अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- आबादी के सभी वर्गों को की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों को विनियमित करना
- आवास निर्माण हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि और निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति के विस्तार को

प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।

- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति केर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रात्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में है और इसका क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और हैदराबाद में है। इसके प्रतिनिधि कार्यालय अहमदाबाद में है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने भारत में चार कार्यालय खोलने का प्रस्ताव रखा है।

ग. आवास क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाने और आवास के लिए निधि को उपलब्ध करने के लिए, रा.आ.बैंक भारत में आवास वित्त क्षेत्र में सक्रिय रहने वाले प्राथमिक ऋण संस्थानों को दीर्घकालिक निधि प्रदान करता है। प्राथमिक ऋणदाता संस्थान व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, बिल्डरों, कॉर्पोरेट हाउस आदि को मकानों की खरीद / निर्माण, मरम्मत / उन्नयन के लिए वित्त प्रदान करती हैं। रा.आ.बैंक उनके द्वारा विस्तारित ऋण के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है।

घ. बैंक का मुख्य जोखिम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों से संबंधित है। बैंक के पास परियोजना वित्तपोषण और एसीएचएफएस में भी कम जोखिम है।

3. प्रयोजनः

ईओआई का प्रयोजन संपूर्ण रूप से रा.आ.बैंक के सभी प्रकार के कर संबंधित मामलों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों)) में सलाहकार सेवाओं में सहायता करने और परामर्श देने के लिए एक फर्म की नियुक्ति करना है।

4. कार्य क्षेत्रः

चयनित कर सलाहकार बैंक द्वारा देय सभी प्रकार के करों का सत्यापन करने और बैंक द्वारा किये सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेनों में करों को अंतिम रूप देने के लिये उत्तरदायी होगा। उनसे बैंक द्वारा संदर्भित किसी कर संबंधी मामले में सलाह देने की अपेक्षा की जाती है, अतएव बैंक को कराधान में विवाद मुक्त करना है। यह आशा की जाती है कि चयनित फर्म की टीम को इस क्षेत्र में अपेक्षित निपुणता, अनुभव, क्षमता और ज्ञान होगा जो मोटेतौर से नीचे दिये विषयों पर विचार करेगी। यह सूची पूर्ण नहीं है और इसे केवल एक रूपरेखा माना जाए। निर्धारित कार्यों में निम्नलिखित कार्य शामिल होंगे :

- आयकर अधिनियम के तहत तिमाही आधार पर अग्रिम कर की गणना,
- तिमाही/छमाही/वार्षिक खाता बंदी के लिये आयकर और आस्थगित कर के लिये प्रावधानों की गणना,
- बैंक की आयकर विवरणी तथा अन्य कोई संबंधित विवरणियां तैयार करना और दायर करना,

- प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष करों की कार्यवाहियों में सहायता करना यथा कर विभाग को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण तैयार करना और कर प्राधिकारियों के समक्ष पेश होना,
- कर प्राधिकारियों को प्रस्तुत किये जाने वाले अपेक्षित आवेदन तैयार और दायर करना,
- अपीलिए प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए अपीलें तैयार करना और पेश होना (बैंक द्वारा उस मुकदमे के लिये अलग से कोई एडवोकेट नहीं लाया जाएगा और किसी अतिरिक्त फीस का भुगतान नहीं किया जाएगा),
- कर प्राधिकारियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना,
- प्रत्यक्ष और परोक्ष कर की यथा स्थिति रिपोर्ट तिमाही आधार पर तैयार करना,
- कर संबंधित विभिन्न दैनिक मामलों में रा.आ.बैंक को सूचना /राय देना,
- किन्हीं कर कानूनों में बदलाव और उनकी जटिलताओं के बारे में नवीनतम जानकारी देना/मार्गदर्शन करना,
- कर प्लानिंग,
- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसरण में प्रमाण पत्र जारी करना,यदि कोई हो,
- आयकर संबंधी अन्य सभी मामलें,
- स्टाफ की कर देयता की गणना और संविदाकारों, परामर्शदाताओं, किराये, अप्रवासी भारतीयों को भुगतान और ब्याज भुगतानों के टीडीएस का सत्यापन,
- बैंक पर लागू वर्तमान नियमों के अनुसार मासिक टीडीएस की गणना/जांच करना,
- तिमाही टीडीएस विवरणियां दायर करना,
- रा.आ. बैंक के प्रत्येक कर्मचारी को भुगतान किये गये वेतन एवं भत्तों से संबंधित टीडीएस गणना का सत्यापन और प्रपत्र-16 के अनुसार टीडीएस प्रमाणपत्र का सत्यापन,
- इनपुट कर ऋण के उपयोग के साथ मासिक आधार पर जीएसटी देयता की गणना / सत्यापन।
- जीएसटी विवरणी तैयार करना और जीएसटी विभाग को प्रस्तुत करना,
- मासिक आधार पर जीएसटी के तहत टीडीएस के प्रति देयता की गणना / सत्यापन।
- जीएसटी विवरणी के तहत टीडीएस की तैयार करना और उसके बाद जीएसटी विभाग को प्रस्तुत करना।
- जीएसटी वाउचर / चालान आदि पर दिशा निर्देश और उक्त जनरेशन के लिए बैंक के साथ समन्वय करना.
- विदेश विप्रेषण, जैसे फार्म-15सीबी के मामले में टीडीएस एवं डीटीएए के अनुसरण में प्रमाण पत्र जारी करना, यदि कोई हों,
- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के करों की गणना की जांच करना,
- कारण बताओ नोटिस के सिलसिले में कर प्राधिकारियों के समक्ष पेश होना,
- वित्तीय लेन-देन का विवरण (एसएफटी) तैयार करना,
- रा.आ.बैंक की ईसीबी विवरणियों का प्रमाणन,
- उन राज्यों में जहां रा.आ.बैंक कार्य कर रहा है, राज्य स्तर पर अनुपालन जो केवल स्थानीय कर प्राधिकारियों के यहां पंजीकरण, विवरणियां,यदि कोई हो, तैयार करना और दायर करना, जीएसटी के साथ-साथ वर्तमान कर व्यवस्था के तहत विभिन्न राज्यों में स्थानीय करों की उपयोज्यता आदि तक ही सीमित नहीं है,
- पंजीकरण, गणना और रिटर्न फाइलिंग जैसे व्यवसायिक कर मामलों में सहायता करना।

- जीएसटी और भारतीय लेखा मानक जैसे नए कर व्यवस्था की ओर स्थानांतरण में सहायता करना।
- बैंक की ईआरपी प्रणाली में जीएसटी के कार्यान्वयन में सहायता करना।
- आईसीडीएस (आयकर गणना प्रकटीकरण मानक) के अनुपालन में सहायता करना।
- जीएसटी के साथ-साथ वर्तमान कर व्यवस्था के तहत बैंक के सभी प्रत्यक्ष और परोक्ष करों के अनुपालन संबंधी जरूरतों को पूरा करना और तिमाही आधार पर प्रमाणन करना कि प्रत्यक्ष और परोक्ष करों से संबंधित सभी अपेक्षाओं का अनुपालन बैंक द्वारा किया गया,
- रा.आ.बैंक के अधिकारियों को कर संबंधी विभिन्न पहलुओं पर छमाही आधार पर प्रशिक्षण देना,
- रा.आ.बैंक पर लागू विभिन्न कर अनुपालनों पर संदर्भ पुस्तिका तैयार करना और वार्षिक आधार पर अद्यतन करना,
- बैंक के सभी कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों पर लागू वर्तमान कानूनों के अनुसार फार्म 16 और फार्म 12बी या कोई अन्य संबंधित फार्म तैयार करना,
- बैंक के कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को किन्हीं बकाया भुगतानों पर कर की गणना करना,
- बैंक के कर्मचारियों के लिये लागू किसी नई योजना/भत्तों पर कर की गणना करना,
- बैंक द्वारा परामर्शदाता को सौंपे किसी अन्य कर संबंधी मामले पर कार्रवाई करन।

कर परामर्शदात्री फर्म द्वारा रा0आ0 बैंक के सभी मामलों के लिये किसी एक सनदी लेखाकार (सीए) को नियत करने की आशा की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य तृतीय पक्ष को कार्य उप संविदा पर देने की अनुमति नहीं होगी। कर संबंधी मामलों में निपुण किसी एक अर्हक सीए/सीएमए को रा.आ.बैंक में माह में कम से कम 8 कार्य दिवसों के लिये तैनात किया जाए। बैंक वाणिज्यिक सेक्शन उल्लिखित वार्षिक परामर्शीय प्रभारों के अलावा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।

यद्यपि, जरूरत के आधार पर, परामर्शीय फर्म से रा0आ0 बैंक कार्यालय में एक सलाहकार भेजने की जरूरत हो सकती है तो बैंक उसके लिये वाणिज्यिक प्रस्ताव में उल्लिखित मानव दर आधार पर भुगतान करेगा।

5. संविदा की अवधिः

संविदा पांच वर्ष तक वैध रहेगा। बैंक सफल बिडरों के साथ 5 वर्ष के लिए सेवा संविदा निष्पादित करेगा,हालांकि प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए कार्य आदेश देगा जिसे संतोषजनक कार्य की समीक्षा के अधीन प्रतिवर्ष बढाया जाएगा।

6. बोलीदाताओं के लिए निर्देश

6.1. सामान्यः

- बोलीदाताओं द्वारा उत्तरों के विकास, तैयारी, एवं प्रस्तुति बैठक, परिचर्चा, प्रदर्शन इत्यादि में उपस्थिति तक ही सीमित नहीं से किसी भी तरह जुड़े एवं राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त सूचना प्रदान करने में खर्च की गई सभी लागत एवं व्यय पूरी तरह व विशेष रूप से बोलीदाताओं द्वारा वहन किया जाएगा।

- बोलीदाता और रा.आ.बैंक के बीच कोई भी बाध्यकारी कानूनी संबंध तब तक मौजूद नहीं होगा जब तक कि बोली के साथ-साथ पूर्व - संविदा सत्यनिष्ठा का समझौता को छोड़कर कार्य आदेश की स्वीकृति नहीं मिल जाती। बोलियों का मूल्यांकन और अंतिम मूल्यांकन और सफल बोलीदाता की पहचान, अखंडता समझौता सफल बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले अंतिम सहमति का हिस्सा बनेगा। अन्य बोलीदाताओं के लिए, संविदा पूर्व ईमानदारी सहमति बोलीदाता द्वारा उल्लिखित संविदा-पूर्व ईमानदारी सहमति के उल्लंघन / भंग में बोलीदाता द्वारा किए गए किसी भी कार्य / चूक के लिए उन पर बाध्यकारी होगी।

- प्रत्येक बोलीदाता मानेगा एवं स्वीकार करेगा कि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर पात्र विक्रेता(ओं) छांटने/चयन करने में प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट चयन मानदंड अपना सकता है।

- प्रत्येक बोलीदाता को इस आरएफपी के जवाब में अपनी बोली जमा करके, इस ईओआई की शर्तों और अस्वीकरण को स्वीकार करने वाला माना जाएगा।

- बोलीदाता से अपेक्षित है कि वे इस ईओआई से संबंधित सभी पत्राचार सीधे निम्नलिखित नामित संपर्क व्यक्तियों को भेजें:

संपर्क व्यक्तिः	**अजय कुमार; प्रबंधक** **ई-मेल आईडी: ajay.kumar@nhb.org.in;** **फोन नंबर. 011-39187106** **मोहित कौल; सहायक महाप्रबंधक** **ई-मेल आईडी: mohit.kaul@nhb.org.in;** **फोन नंबर. 011-39187128**

- रा.आ.बैंक निविदा/ईओआई बंद होने के पश्चात अपने पूर्ण विवेक पर किसी भी बोलीदाता/ओं से अतिरिक्त सूचना अथवा सामग्री की मांग कर सकता है एवं बोलीदाता के प्रत्युत्तर के तौर पर ऐसी सभी सूचना एवं सामग्री उपलब्ध कराई जानी अत्यंत आवश्यक होगी।

- सभी बोलीदाता अपना संपर्क सूत्र, दूरभाष, फैक्स, ईमेल एवं पूरा पते का विवरण उपलब्ध करायें ताकि ईओआई के प्रत्युत्तर से तुरंत अवगत कराया जा सकें।

- यदि रा.आ.बैंक अपने पूर्ण विवेक पर यह समझे कि प्रश्न का प्रवर्तक प्रश्न के प्रत्युत्तर से लाभ हासिल करेगा तो रा.आ.बैंक के पास सभी बोलीदाताओं को ऐसे उत्तर बताने का अधिकार सुरक्षित होगा।

- यदि कोई पूछताछ/स्पष्टीकरण हो तो ऊपर बताए गए संपर्क व्यक्ति/यों से सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर सोमवार से शुक्रवार प्रात: 10 से सायं 5 बजे तक बोलियों के प्रस्तुत करने की समयसीमा के पूर्व जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

- बोलीदाता को किसी भी सरकारी, अर्ध सरकारी एजेंसियों, सांविधिक, विनियामक, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र बैंक और इसकी सहायक कंपनियों द्वारा ब्लैक लिस्ट/वंचित न किया गया हो।

- रा.आ. बैंक अपने ईओआई बोली के परिणाम के मुमकिन होते ही सभी शार्ट लिस्ट बोलीदाताओं को लिखित रूप में अथवा मेल के द्वारा या उसे अपनी वेबसाइट में प्रकाशित करके सूचित करेगा। रा.आ.बैंक ऐसी किसी भी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है।

6.2. ईओआई दस्तावेज की सॉफ्ट प्रतिः

ईओआई दस्तावेज की सॉफ्ट प्रति बैंक की वेबसाइट http://www.nhb.org.in पर उपलब्ध कराई जाएगी।

6.3. ईओआई दस्तावेज़ों में संशोधनः

- बोलियों की प्रस्तुति की समय सीमा से पूर्व किसी भी समय पर राष्ट्रीय आवास बैंक किसी कारण के लिए बोली बोली/निविदा/आरएफपी दस्तावेजों में संशोधन करते हुए संशोधित कर सकता है।

- ऐसे संशोधनों को रा.आ.बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in पर दर्शाया जाएगा।

- सभी बोलीदाताओं को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ईओआई दस्तावेज में सभी संशोधन/वृद्धि (यदि कोई हो) ईओआई प्रस्तुत करने से पूर्व उन्होंने उस पर विचार कर लिया है। किसी बोलीदाता द्वारा किसी प्रकार की चूक के मामले में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

- रा.आ.बैंक अपने विवेक पर ईओआई प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।

- किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कमी के लिए रा.आ.बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी चरण में ईओआई प्रक्रिया को स्क्रैप करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

6.4. ईओआई की भाषाः

बोलीदाताओं द्वारा तैयार ईओआई के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

6.5. स्थान/मात्रा में संशोधन का अधिकारः

रा.आ.बैंक के पास ईओआई में निर्धारित मात्राओं को संशोधित करने का अधिकार है। रा.आ.बैंक के पास समय-समय पर ईओआई में निर्धारित सूची से एक या एक से अधिक स्थल/स्थलों को जोड़ने/हटाने का भी अधिकार सुरक्षित है। यदि कोई हो, तो परिवर्तन बैंक की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा।

6.6. ईओआई में शामिल किये जाने वाले दस्तावेजः (कृपया प्रारूप में अलग से निर्धारित निर्देश यदि कोई हो, का पालन करें)

(संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट को प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर स्पष्ट टाइप किया जाना चाहिए और तत्पश्चात रा.आ.बैंक की ओर से उक्त पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। निष्पादन की तारीख बोलीदाता द्वारा तकनीकी बोली में उल्लिखित तिथि होनी चाहिए) अनुलग्नक **VI** में प्रारूप में संविदा-पूर्व प्रमाणिकता पैक्ट (जहां भी लागू हो)।

6.7. सीलिंग और मार्किंग

- सभी लिफाफे नीचे दिए रा.आ.बैंक के पते पर भेजे जाएंगे:

  मुख्य वित्तीय अधिकारी
  लेखा विभाग
  राष्ट्रीय आवास बैंक
  कोर 5-ए, तीसरा तल, भारत पर्यावास केन्द्र
  लोधी रोड
  नई दिल्ली – 110003

- सभी लिफाफों पर बोलीदाता का नाम, पता और सम्पर्क नम्बर लिखा हो।

- यह लिफाफा नॉन-विंडो होना चाहिए और यथा लागू इसके ऊपर "कर संबंधित मामलों में सलाहकार सेवाओं में सहायता प्रदान करने और परामर्श देने के लिए एक फर्म की नियुक्ति (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों)" अलग से लिखा हो।

6.8. ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीखः

- ईओआई रा.आ.बैंक को निर्दिष्ट पते पर प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से पहले, जिसे ऊपर दर्शाया गया है, प्राप्त हो जानी चाहिए।

- बोली प्रस्तुत करने हेतु निर्दिष्ट तिथि यदि बैंक के लिए अवकाश घोषित हो जाता है तो ईओआई अगले कार्य दिवस में निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जा सकती है।

- रा.आ. बैंक अपने विवेकाधिकार पर, रा.आ. बैंक की वेबसाइट की सूचना के साथ बोली दस्तावेजों में संशोधन करके बोली प्रस्तुत करने की समय-सीमा बढ़ा सकती है, इस मामले में, रा.आ. बैंक और बोलीदाताओं के सभी अधिकार और कर्तव्यों को पहले निर्धारित समय सीमा के अधीन किया जाएगा, इसके बाद से समय सीमा के अधीन बढ़ाया जाएगा।

6.9. विलम्ब से प्राप्त ईओआईः

रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित ईओआई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के बाद रा.आ.बैंक को प्राप्त कोई भी ईओआई रद्द कर दी जाएंगी और उन्हें बिना खोले बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।

6.10. रा.आ.बैंक द्वारा बोलियां खोला जानाः

- निर्धारित तारीख और समय पर, बोलियां रा.आ.बैंक समिति द्वारा बोलीदाता के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उस निर्धारित तारीख को उपस्थित होंगे, खोली जाएंगी।

- तकनीकी बोलियां खुलने का स्थान: राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5 ए, तृतीय तल, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003.

6.11. ईओआई का स्पष्टीकरणः

ईओआई के मूल्यांकन के समय, रा.आ.बैंक स्व विवेकानुसार, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिये अनुरोध और उसका उत्तर लिखित (फैक्स/ई-मेल) होगा और बोली की विषय वस्तु में किसी परिवर्तन की मांग नहीं की जाएगी या अनुमति नहीं दी जाएगी।

6.12. प्रारम्भिक जांचः

- रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिये ईओआई की जांच करेगा कि क्या वे पूरी हैं, दस्तावेजों पर सही प्रकार हस्ताक्षर किये गये हैं, सहायक कागजात/दस्तावेज संलग्न किये गये हैं और बोलियां हर प्रकार से ठीक हैं आदि।

- रा.आ.बैंक स्व एकमात्र विवेकानुसार, मामूली गलतियों, अननुपालन या अनियमितता को अनदेखा कर देगा जिनसे बिड की विषय वस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु इस प्रकार से अनदेखी करने का किसी बोलीदाता की रैंकिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

- बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन के बारे में रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

6.13 प्रस्ताव का स्वामित्वः

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और सहायक दस्तावेज तब तक रा.आ.बैंक की सम्पत्ति होंगे जब तक कि रा.आ.बैंक बोलीदाता का वह अनुरोध लिखित में स्वीकार नहीं कर लेता कि प्रस्ताव तथा दस्तावेज लौटा दिये जाएंगे या नष्ट कर दिये जाएंगे।

6.14 बोलीदाताओं को निर्देशः

बोलीदाता रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर रा.आ.बैंक द्वारा सौपे गए कार्य को किसी तृतीय पक्ष को आउटसोर्स नहीं करेगा और रा.आ.बैंक द्वारा पंजीकृत सभी शिकायतें अपने स्वयं की सेवा/समर्थन अवसंरचना के द्वारा ही निपटाएगा।

6.15 सहायक सेवाओं की समय पर उपलब्धताः

इस आरएफपी के तहत सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता के पास नई दिल्ली और मुंबई में उचित और पर्याप्त समर्थन कार्यपद्धति होनी चाहिए।

6.16 मैंयूअल/दस्तावेजः

परामर्शदाता संविदा की अवधि के दौरान आपूर्ति की गई सेवाओं हेतु पूर्ण तकनीकी और अन्य दस्तावेज प्रदान करेगा। सभी नियमावली अंग्रेजी में हो और आपूर्ति की जाने वाली सेवाएं स्पष्ट इंगित होनी चाहिए।

6.17 संशोधन एवं वापसीः

- प्रत्येक बोलीदाता केवल एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। यदि कोई भी बोलीदाता एक से अधिक प्रस्तावों को प्रस्तुत करता है, तो ऐसे सभी प्रस्तावों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- बोलीदाता को सूचित किया जाता है कि बोली पूर्व की बैठक के बाद ही बोलियाँ जमा करें क्योंकि एक बार प्रस्तुत की गई बोली को अंतिम माना जाएगा और इस पर आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा। बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम समय-सीमा के बाद किसी भी बोली को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- रा.आ.बैंक के पास बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार है। किसी भी कारण से बोली दस्तावेजों की गैर-प्राप्ति/गैर-डिलीवरी के लिए रा.आ.बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

6.18 बोली लगाने वाली कंपनियों की निबंधन व शर्ते:

बोली लगाने वाली कंपनियों को बोली के लिए अपनी स्वयं के निबंधन व शर्तें लगाना आवश्यक नहीं है यदि ऐसी निबंधन व शर्तें प्रस्तुत की जाती है तो उसे उनकी बोलियों के हिस्से के तौर पर नहीं माना जाएगा।

6.19 स्थानीय परिस्थितियाः

बोलीदाता स्थानीय परिस्थितियों एवं कारकों से भलीभांति परिचित हो जो अनुबंध के कार्य निष्पादन एवं/अथवा लागत पर कोई प्रभाव डालते हों।

6.20 राष्ट्रीय आवास बैंक से संपर्क करना अथवा बाहरी प्रभाव डालनाः

बोलीदाताओं को वाणिज्यिक बोली प्रस्तुत करने के समय से लेकर अनुबंध प्रदान किये जाने के समय तक इस बोली से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक अथवा इसके सलाहकारों से संपर्क करना निषिद्ध है। बोलीदाताओं द्वारा बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अथवा अनुबंध प्रदान करने के निर्णय को प्रभावित करने वाले कोई प्रयास करने पर बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

6.21 प्रस्ताव की सामाग्रीः

बोलीदाताओं के प्रस्ताव मूल्यांकन एवं चयन प्रकिया का मुख्य विषय है इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि बोलीदाता ध्यानपूर्वक अपना प्रस्ताव तैयार करें। बोलीदाता के प्रस्ताव की गुणवत्ता साधन उपलब्ध कराने में बोलीदाता की क्षमता एवं इस परियेाजना में बोलीदाता की रूचि के सूचक के तौर पर देखी जाएगी।

6.22 प्रतिबंधित अथवा सूची स बाहर किये गए बोलीदाताः

बोलीदाता को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्हें किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों,सांविधिक, विनियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एंव इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित अथवा सूची से बाहर नहीं किया गया है। यदि बोलीदाता किसी सरकार, अर्ध सरकारी एजेंसियों, विनियामक निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एवं इसकी सहायक कंपनियों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है तो यह तथ्य स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाये। यदि यह घोषणापत्र नहीं दिया जाता है तो बोली गैर जिम्मेदारी के तौर पर अस्वीकृत कर दी जाएगी। यह घोषणापत्र तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत की जाये।

6.23 कानूनों का अनुपालनः

(क) सलाहकार/बोलीदाता को इस निविदा में उन्हें एवं सभी प्रयोजनों में उनको, उनके बारोबार, उनके कर्मचारियों अथवा उनके दायित्वों से संबंधित अथवा लागू प्रवृत्त सभी कानूनों अथवा जो भविष्य में लागू किये जाएं के बारे में पर्यवेक्षण करने, पालन करने, मानने एवं अनुपालन करने एवं रा.आ.बैंक को सूचित करने तथा अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव एवं रक्षा करने का वचन देना होगा।

(ख) विक्रेता ऐसी सभी सहमतियां, अनुमतियां, अनुमोदन, लाइसेंस इत्यादि प्राप्त तुरंत एवं समय पर प्राप्त करेगा जो लागू कानून, सरकारी विनियमनों/दिशा निर्देशों के तहत इस परियोजना के किसी भी प्रयोजन एवं अपने स्वयं के कारोबार संचालित करने के लिए अनिवार्य अथवा आवश्यक हो एवं परियोजना/संविदा की अवधि के दौरान उसे वैध अथवा प्रवृत्त रखेगा एवं इसमें किसी प्रकार से असफल रहने अथवा चूक होने की स्थिति में अपनी ओर से असफल रहने अथवा चूक होने पर व इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले उपरोक्त एवं सभी अन्य सांविधिक दायित्वों की अनुरूपता अथवा अनुपालन पर अपनी ओर से घटित होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी प्रकार की चूक पर अथवा असफल रहने पर देयता के दावों अथवा मांगों के लिए रा.आ.बैंक एवं इसके कर्मचारियों/अधिकारीगणों/कर्मचारीवर्ग/कार्मिकों/प्रतिनिधियों/एजेंटो की क्षतिपूर्ति, हानिरहित पकड, बचाव, रक्षा करने एवं पूरी तरह क्षतिपूर्ति करने का वचन देना होगा और रा.आ.बैंक सलाहकार को यथोचित समय सीमा के भीतर देयता के ऐसे दावे अथवा मांग का नोटिस देगा।

(ग) यदि रा.आ.बैंक विलय, समामेलन, अधिग्रहण, समेकन, पुनर्निर्माण, स्वामित्व में परिवर्तन इत्यादि की प्रक्रिया से गुजरता है तो यह अनुबंध नई संस्था को सौंपे जाने वाला माना जाएगा एवं इस तरह के कार्य से इस अनुबंध के तहत विक्रेता के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6.24 बौद्धिक संपदा अधिकारः

बोलीदाता वारंट देता है कि सलाहकार के रूप में इसके चयन की स्थिति निम्नलिखित हैं:

(क) इसके द्वारा प्रदान किए जाने वाले इनपुट, किसी भी प्रकृति के कॉपीराइट, पेटेंट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित किसी भी तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ख) यह आगे की गारंटी देता है कि वितरित किसी भी तीसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों, कॉपीराइट, पेटेंट और किसी भी प्रकृति के अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों सहित, का उल्लंघन नहीं करेगा।

(ग) ऐसी स्थिति में जब प्रदेय तृतीय पक्ष के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन या उल्लंघन के दावे का विषय बनते हैं, बोलीदाता अपनी इच्छा और व्यय पर: (क) ऐसे प्रदेय का उपयोग जारी रखने हेतु रा.आ.बैंक के लिए खरीद का अधिकार; (ख) ऐसे प्रदेय को बदलने या संशोधित करने के लिए उन्हें गैर- उल्लंघनकारी बनाकर प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि समान कार्य प्रतिस्थापन या संशोधित प्रदेय द्वारा उल्लंघनकारी प्रदेय के रूप में किया जाता है; अथवा (ग) यदि उपयोग करने का अधिकार खरीद नहीं हो सकता या प्रदेय को प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जा सकता तो प्रदेय की विवरणी को स्वीकार कर सकते हैं और ऐसे प्रदेय के लिए बोलीदाता को दी गई किसी भी राशि के लिए साथ ही रा.आ. बैंक द्वारा लगाए गए दंड के अतिरिक्त समान उपकरणों की खरीद के लिए रा.आ. बैंक द्वारा किए गए प्रतिस्थापन लागत रा.आ. बैंक को प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। तथापि, इस संबंध में रा.आ. बैंक किसी भी तरह के व्यय, प्रभार, शुल्क या किसी प्रकार की लागतों को नहीं उठाएगा। मौजूदा उपायों के बावजूद, बोलीदाता प्रस्तावित समाधान का उपयोग करने के लिए रा.आ. बैंक की असमर्थता के कारण यदि सेवा स्तर की पूर्ति नहीं होती है तो दंड के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

(घ) बोलीदाता स्वीकार करता हैं कि व्यापार तर्क, कार्य प्रवाह, प्रतिनिधिमंडल और रा.आ. बैंक के निर्णय लेने की प्रक्रिया और समर्पण संवेदनशील व्यापार प्रकृति के हैं और इसलिए इसे अन्य ग्राहकों, एजेंट या सॉफ़्टवेयर के वितरकों को नहीं भेजा जाएगा। यदि परियोजना के क्षेत्र में वर्णित परियोजना के वांछित उद्देश्यों को पूरा नहीं किया जाता है और यदि ईओआई में उल्लिखित की गई विभिन्न आवश्यकताओं के आधार पर प्रणाली प्रक्रियाओं को सुधारनें में असमर्थ है, तो इस परियोजना को अपूर्ण माना जाएगा।

6.25 झूठा / अधूरा विवरणः

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदि निविदा/बोली प्रक्रिया के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्यी उसकी निविदा/बोली की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती है तो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे।

7. पूर्व-पात्रता मानदंडः

अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:
www.nhb.org.in – What's New

किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

@@@